संचिका सं0–17/ए 2–01/2012 – 131 (17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आशीष कुमार,
सचिव (प0क0)

सेवा में,

प्राचार्य,पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।

पटना, दिनांक– 30/01/13

विषय :– राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सह प्राध्यापक/प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा/मानदेय के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–414(17) दिनांक–03.05.11 के आलोक में सह प्राध्यापक/प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा/मानदेय के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0–1748(स्वा0) 11–12 के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों एवं साक्षात्कार के आधार पर गठित समिति द्वारा पदवार मेधा सूची तैयार,किया जाय।

विभाग/पदवार मेधा सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की संविदा/मानदेय के आधार पर विभागीय पत्रांक–17/ए 2–01/2012–624(17), दिनांक– 07.05.2012 द्वारा डा0 सुप्रिया शर्मा को सह–प्राध्यापक सर्जरी विभाग(संविदा) के पद पर वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी में नियुक्ति हेतु एवं विभागीय पत्रांक–17/ए 2–01/2012/–629(17), दिनांक–08.05.2012 द्वारा डा0 आशुतोष डोकानियाँ, प्राध्यापक नेत्र रोग विभाग(संविदा), के पद पर नियुक्ति हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में सूची भेजी गयी थी, जिसमें सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित रूप से संशोधित करते हुए कॉलम 5(पाँच) में अंकित महाविद्यालय में नियुक्ति का आदेश दिया जाता है :–

क्रमांक	चिकित्सक का नाम एवं पता	पद नाम जिस पर नियुक्त किया जाता है	विभाग का नाम	नियुक्त होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1.	डा0 सुप्रिया शर्मा, जी0–99 पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20	सह प्राध्यापक	सर्जरी	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2.	डा0 आशुतोष डाकानियाँ, रोहेलखण्ड, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पिलीभीत बायपास रोड, बरेली, उत्तरप्रदेश–243006	प्राध्यापक	नेत्र रोग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

उक्त शिक्षकों को निर्धारित पदस्थापन स्थान के संबंधित प्राचार्य को नियुक्ति आदेश निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

विभागीय संकल्प संख्या–414(17) दिनांक–03.05.11 में निहित प्रावधान/अनुदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, इसकी निकासी प्राचार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

<u>नियुक्ति संबंधी शर्ते :–</u>

(क) उक्त चयनित चिकित्सक शिक्षकों की यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है। नियुक्ति प्राधिकार, पद धारक को दो माह का पूर्व नोटिस देकर पद मुक्त कर सकेंगे, उसी प्रकार नियुक्त पद धारक भी नियोक्ता को दो माह का पूर्व नोटिस देकर पद से मुक्त हो सकेंगे।

(ख) नियुक्ति प्राधिकार नियुक्त पदाधिकारी के साथ नियुक्ति तिथि को एक सौ रू0 के नन–जूडिसियल/एडहेसिव स्टाम्प पर अनुबंध सम्पन्न कर नियुक्ति संपादित करेंगे।

(ग) इस नियुक्ति के संवर्गीय पदस्थापन/प्रोन्नति आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कार्यकाल गैर संवर्गीय होगा, जो नियमित प्रोन्नति होने पर अथवा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर जो भी पहले हो स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(घ) नियुक्ति पत्र का नमूना संलग्न है, कृपया अपने स्तर से उक्त चयनित पद धारक को निर्गत करेंगे।

(ड) नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच कर ली जाय, तथा नियुक्ति पत्र में उपर्युक्त वर्णित शर्तों का उल्लेख करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(आशीष कुमार)
सचिव (परिवार कल्याण)
स्वास्थ्य विभाग,बिहार, पटना

ज्ञापांक– 131(17) पटना, दिनांक– 30/01/13

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सचिव (प०क०)
स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना